| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | बी० घि० बि० | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | पाकरा | 2357 | 0 4 10 | |
| | | | | 2359 | 0 1 0 | |
| | | | | 2360 | 0 3 0 | |
| | | | | 2362 | 0 2 0 | |
| | | | | 2364 | 0 3 0 | |
| | | | | 2365 | 0 19 0 | |
| | | | | 2366 | 0 6 0 | |
| | | | | 2367 | 2 2 10 | |
| | | | | 2728 | 18 19 10 | |
| | | | | 2729 | 15 11 0 | |
| | | | | योग .. | 103 11 10 | |
| | | | | | या | |
| | | | | | 64.47 एकड़ | |
| | | | | | या | |
| | | | | | 26.045 हे० | |

25 जनवरी, 1979 ई०

सं० 8109 सी०एच०-2-503/77--भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( अधिनियम सं० 16, 1927 ) की धारा 29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष उग रहे हों या नहीं, सरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और धारा 66 के उपबन्ध लागू होंगे ।

अनुसूची

| पट्टी का नाम | विवरण और स्थिति |
|---|---|
| रेलवे | प्रबन्ध के लिये वन विभाग को अन्तरित पूर्वोत्तर रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि |

इज्जतनगर मण्डल--
1--राजेपुर से फरीदाबाद
2--फरीदाबाद से कासगंज
3--कासगंज से अछनेरा
4--कासगंज जक्शन से बरेली
5--बरेली जक्शन से बरेली गोदाम
6--भोजीपुरा से बेलानी
7--पीलीभीत से टनकपुर
8--मथुरा जक्शन से वृन्दावन
9--पीलीभीत से शाहजहांपुर
10--शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद
11--मुरादाबाद से काशीपुर
12--काशीपुर से रामनगर
13--काशीपुर से काशीपुर
14--सम्भल से बहजोई
15--इज्जतनगर से बहमलखाज
16--इज्जतनगर से कलहसकलाज

लखनऊ मण्डल--
1--गोरखपुर छावनी से गोन्डा
2--गोन्डा से लखनऊ जक्शन
3--लखनऊ जक्शन से रायबरेली
4--मैलानी से डालीगंज
5--गोरखपुर से गोन्डा (लूप)
6--मनकापुर से कटरा
7--गोन्डा से मैलानी
8--आनन्द नगर से नौतनवा
9--बरहवल से सीतापुर
10--गनसारी से अखा
11--नानपारा से नैपालगंज रोड
12--दुदवा से गौरीफन्टा
13--दुदवा से चन्दन चौकी
14--सीतापुर से धाममनगंज

वाराणसी मण्डल--
1--भटनी से गोरखपुर छावनी
2--भटनी से वाराणसी
3--वाराणसी से इलाहाबाद सिटी
4--भटनी से बनकटा
5--गोरखपुर छावनी से तिनकोनिया हाल्ट (लूप)
6--औरिहार जक्शन से बकुलहा
7--छितौनी से कप्तानगंज
8--सलेमपुर से बरहजबाजार
9--इन्दारा से दोहरीघाट
10--फेफना से इन्दारा
11--मऊ जक्शन से शाहगंज
12--औरिहार से जौनपुर
13--माधोसिंह से चोलह

आज्ञा से,
एन० पी० त्रिपाठी,
सचिव ।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 8109 XIV-2 503-77, dated January 25, 1979 for general information :

No. 8109 XIV-2 503-77

*January* 25, 1979

In exercise of the powers under section [illegible] of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI of 1927) and all other powers enabling him

(दीनानाथ राय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

Photocopy attested

Manager/Civil
RVNL / BSB

4. Kasganj Junction—Bareilly.
5. Bareilly Junction—Kaihgodam.
6. Bhojipura—Maillani.
7. Pilibhit—Tanakpur.
8. Mathura Junction—Vrindavan.
9. Pilibhit—Shahjahanpur.
10. Sahbajnagar—Pherganj.
11. Moradabad—Kashipur.
12. Kashipur—Ramnagar.
13. Laikunwan—Kashipur.
14. Mandhana—Bramhvart.
15. Izzatnagar—Sahmatganj.
16. Izzatnagar—Kalhasganj.

*Lucknow Division*:

1. Gorakhpur Chhawani—Gonda.
2. Gonda—Lucknow Junction.
3. Lucknow Junction—Rawatpur.
4. Maillani—Daliganj.
5. Gorakhpur—Gonda (Loop).
6. Mankapur—Katra.
7. Gonda—Maillani.
8. Anandnagar—Nautanwa.
9. Burahbal—Sitapur.
10. Gansari—Jarwa.
11. Nanpara—Nepalganj Road.
12. Dudwa—Gauriphanta.
13. Dudwa—Chandan Chawki.
14. Sitapur—Thomsanganj.

*Varanasi Division*:

1. Bhatni—Gorakhpur Chhawani.
2. Bhatni—Varanasi. (I)
3. Varanasi—Allahabad City.
4. Bhatni—Bankata.
5. Gorakhpur Chhawani—Tinpheria halt (Loop).
6. Aurihar Junction—Bakullia.
7. Chhitauni—Kaptanganj.
8. Salempur—Barahajbajar.
9. Indara—Dohrighat. (II)
10. Phepna—Indara. (III)
11. Mau Junction—Shahganj. (IV)

(दीनानाथ राय)
प्रभारीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
वाराणसी।

सहायक निदेशक
वि०वा० वन प्रभाग मऊ/घोसी

22/1
Manager/Civil
RVNL/BSB